

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
उ०प्र०, लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 17 जुलाई 2017

विषय:- बदायूं में चन्दौसी-बदायूं मार्ग एस०एच०-43 किमी० 59 पर ग्राम मुड़िया के खसरा संख्या-210 में एस्सार ऑयल कम्पनी लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.06776हे० (संश्लेषित 0.075028 हे०) संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/10/2017/एफसी/42, दिनांक 28-6-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों/अभिलेखों पर प्रयोक्ता एजेन्सी के नाम/पदनाम/मोहर व दिनांक अंकित कराकर आन लाइन अपलोड कराते हुये उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- विषयगत प्रस्ताव 02 प्रतियों प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार की अपेक्षानुसार प्रस्ताव में रक्षित सभी प्रमाण पत्रों/अभिलेखों पर प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम/पदनाम/मोहर/दिनांक अंकित कर प्रस्ताव मूलरूप में शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथापरि प्रस्ताव 02प्रतियां।

भवदीय,

  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव

भा.स.107

संख्या-~~968~~(1)/14-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)  
अनु सचिव।